दिनांक 10.09.2025
प्रेस विज्ञप्ति 13/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा तैयार किये गये प्रशिक्षण कार्यक्रम/आन लाइन पोर्टल/प्रशिक्षण सामग्री का किया गया शुभारंभ

माननीय मुख्यमंत्री उ0प्र0 के दृष्टिकोण के तहत पुलिस बल के प्रशिक्षण में अत्याधुनिक तकनीकी ज्ञान से युक्त उच्चतम प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित कराया जाये के क्रम में आज दिनांक 10-09-2025 को पुलिस प्रशिक्षण, **''एक नवीन परिदृश्य''** कार्यक्रम के तहत पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में **''उ0प्र0 पुलिस का ऑनलाइन प्रशिक्षण मैनेजमेंट सिस्टम'',''कर्मयोगी आईगॉट पोर्टल पर 4 विषयों- साइबर अपराध, विधि विज्ञान, प्राथमिक उपचार, सद्व्यवहार पर पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा कर्मयोगी टीम के सहयोग से विकसित प्रशिक्षण कार्यक्रम''** एवं **फिजिकल ट्रेनिंग हेतु ''स्मार्ट पी0टी0 टेबल-2025''** का विमोचन मुख्य अतिथि, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 **श्री राजीव कृष्णा** द्वारा किया गया। इस अवसर पर लखनऊ में नियुक्त समस्त डी0जी0,ए0डी0जी0,आई0जी0 एवं डी0आई0जी0 उपस्थित रहे।

इस अवसर पर कार्यक्रम के आयोजक पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश की महानिदेशक श्रीमती तिलोत्तमा वर्मा द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रत्येक बिन्दु पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया। उनके द्वारा बताया गया कि ऑन लाइन प्रशिक्षण पोर्टल एक ऐसा प्लेटफार्म है, जहाँ अब प्रत्येक प्रशिक्षु के लिए इनडोर एवं आउटडोर विषयों की समस्त सामग्री पी0पी0टी0, वीडियो, पी0डी0एफ0 आदि के माध्यम से हर समय उपलब्ध होगी। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदित फिजिकल ट्रेनिंग मैनुअल के रूप में **''स्मार्ट पी0टी0 टेबल-2025''** के माध्यम से प्रशिक्षुओं को वाह्य कक्षीय प्रशिक्षण के तहत शारीरिक दक्षता हेतु अब परम्परागत तरीके के स्थान पर नवीनतम आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली के तहत फिजिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। पुलिस बल को आधुनिक तकनीक से युक्त प्रशिक्षण प्रदान करने, तीन नये कानूनों के संबंध में पुलिस बल के प्रत्येक कार्यकारी सदस्य को प्रशिक्षित करने, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे विश्व के इतिहास में प्रथम बार लगभग 60 हजार की संख्या में आरक्षियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए यथा समय आवश्यक संसाधन जुटाये तथा उनके गुणवत्तापरक प्रशिक्षण के

लिए अध्यापक प्रशिक्षक, आई0टी0आई0, पी0टी0आई0 प्रशिक्षकों को पर्याप्त संख्या में तैयार किया। प्रदेश में पहली बार पुलिस के चुने हुए कार्मिकों को न्यूट्रीशन एवं शरीर विज्ञान की सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करने के साथ फिजिकल ट्रेनर के रूप में उन्हें दक्ष करते हुए हेल्थ कोच बनाया गया एवं बदलते परिदृश्य में पहली बार चुने हुए आई0टी0आई0, पी0टी0आई0 प्रशिक्षकों को प्रदेश के बाहर सी0आर0पी0एफ0 के उत्कृष्ट प्रशिक्षण केन्द्रों में मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया साथ ही प्रदेश पुलिस बल के लगभग समस्त पदों से सम्बन्धित प्रशिक्षण हेतु पाठ्यक्रम को संशोधित एवं अपग्रेड किया गया है।

इस अवसर पर **पुलिस महानिदेशक उ0प्र0** ने अपने उद्बोधन में प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण निदेशालय के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज हम इतिहास को बनते हुए देख रहे है, चार लाख के फोर्स में जब इतना क्वांटम एडिशन एक बार में होता है, उस क्वाटंम एडिशन को लाने के बाद उनको हम किस तरीके से इस फोर्स में समायोजित करने के लिए कार्य करते है, वह उस भर्ती से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से वह यहाँ पर आये है। मा0 मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व, मार्गदर्शन और उनकी दूरदृष्टि से उन्होने कई ऐसे निर्णय लिए है, जिसके आधार पर प्रशिक्षण निदेशालय ने डीजी प्रशिक्षण के अभूतपूर्व नेतृत्व में ऐसा इन्फ्रास्टेक्चर तैयार किया है, जो अपने आप में ऐतिहासिक है, जो न केवल पूरे फोर्स की दशा बदलने वाला है, बल्कि पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ है।

पुलिस महानिदेशक महोदय ने कहा कि उनकी 10 प्राथमिक्ताओं में प्रशिक्षण का भी विशेष स्थान है। अत्याधुनिक तकनीक होने के बाद भी यदि आपका प्रशिक्षण उच्चकोटि का नही है, तो उसका कोई महत्व नही है। पुलिस कर्मियों के लिए केवल शारीरिक दक्षता ही नहीं, बल्कि तकनीकी ज्ञान, कानूनी समझ और संवेदनशीलता भी उतनी ही आवश्यक है। नियमित और आधुनिक प्रशिक्षण प्रत्येक स्तर के पुलिस अधिकारी को अद्यतन, अनुशासित और जनता की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बनाता है। वर्तमान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 60 हजार आरक्षियों को केवल प्रशिक्षण ही नही कराना है बल्कि प्रशिक्षण को इस स्तर पर ले जाना है कि हमारे पुलिस कर्मी अगले 35, 40 वर्षो तक इस महान पुलिस बल का अभिन्न अंग बनकर नागरिको की सेवा तत्परता और लगन के साथ कर सकें। प्रशिक्षण के दौरान हमे अनुशासन और ईमानदारी दोनो का ख्याल रखना है

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं पुस्तक का विमोचन करते हुए हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि यह पहल केवल एक तकनीकी बदलाव नही हैए यह हमारी सोच हमारी कार्यशैली और हमारी प्रशिक्षण प्रणाली को नई दिशा देने वाली क्रान्ति है, इन नयी व्यवस्थाओं से उ0प्र0 पुलिस और अधिक सक्षम, कुशल और प्रभावशाली बनेगा।

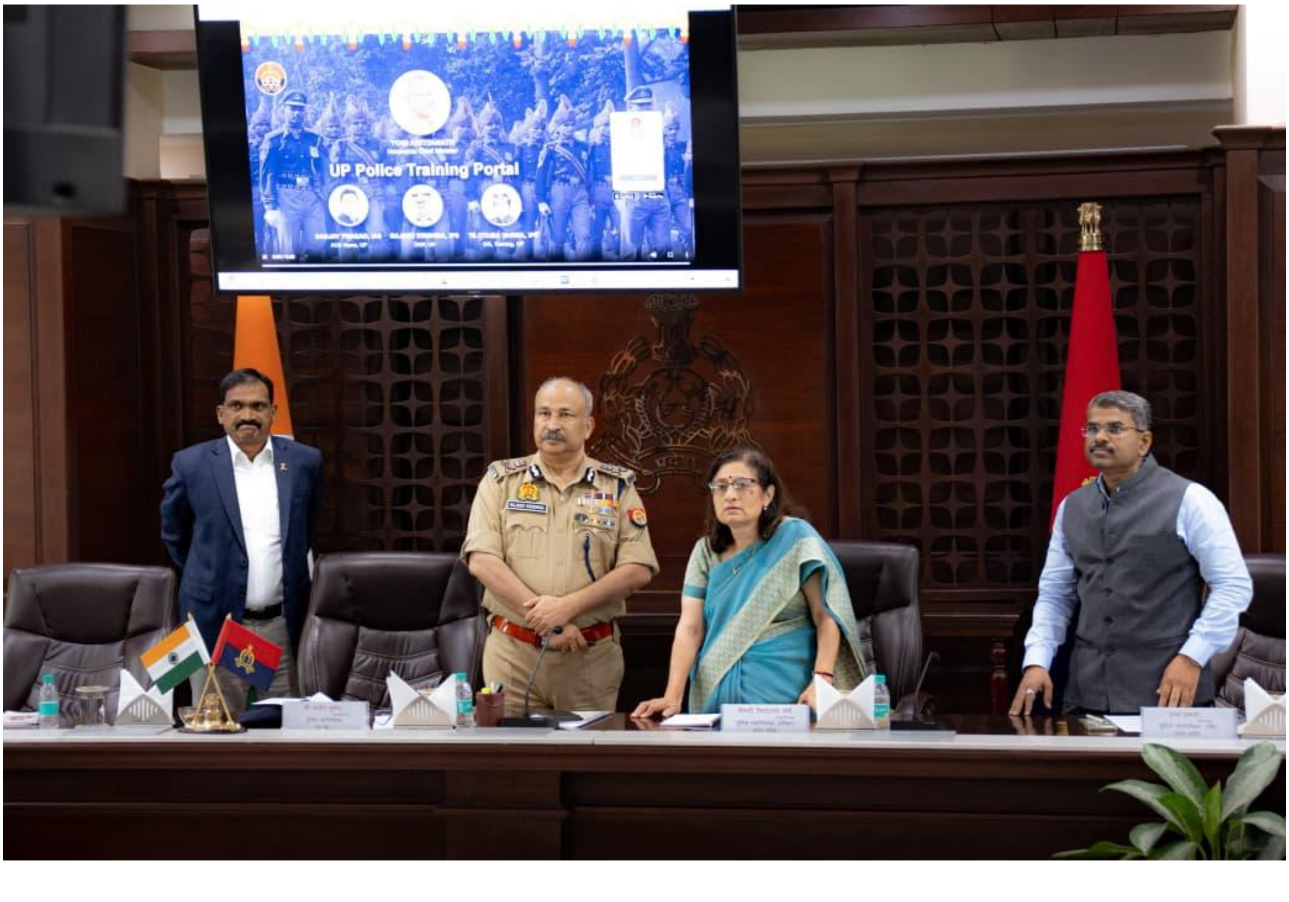
UP Police Training Portal

उत्तर प्रदेश पुलिस

RAJEEV KRISHNA
श्रीमती तिलोत्तमा वर्मा,
पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण,
उत्तर प्रदेश।
Bisleri

60,000 RECRUITS
GETTING TRAINED TO SERVE
60,000 RECRUITS
GETTING TRAINED TO SERVE

दिनांक 10.09.2025
प्रेस विज्ञप्ति 14/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एस0टी0एफ0–जनपद शाहजहॉपुर के थाना तिलहर क्षेत्रान्तर्गत अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के 01 सदस्य को 271.4 कि0ग्रा0 अवैध गांजा के साथ एसटीएफ द्वारा किया गिरफ्तार।

दिनांक 10–09–2025 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 द्वारा थाना तिलहर जनपद शाहजहॉपुर क्षेत्र से अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के 01 सदस्य को 271.4 कि0ग्रा0 अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

सुभाष सिंह पुत्र अमर सिंह नि0 लदौडी, थाना नूरपुर, जनपद कांगडा, हिमाचल प्रदेश।

बरामदगी:

1. 271.4 कि0ग्रा0 अवैध गांजा (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य 1.5 करोड़ लगभग)
2. 01 अद्द मोबाईल फोन
3. 850/रूपये–नगद
4. एक आयशर केन्टर नं0–पीबी–10 ईएच–5750

गिरफ्तारी का स्थान व समय:

दिनांक 10–09–2025, स्थानः–सरयू पुलिया वाले ओवरब्रिज से करीब 300 मीटर आगे समय–02.40 बज

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदो व सीमावर्ती राज्यों में अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की टीमों का गठन कर अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री बृजेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ फील्ड यूनिट मेरठ के पर्यवेक्षण में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, मेरठ में टीमें गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में उ0नि0 श्री जयवीर सिंह के नेतृत्व में हे0कां0 रकम सिंह, हे0कां0 प्रदीप धनकड, हे0कां0 आकाशदीप, हे0कां0 भूपेन्द्र सिंह एंव हे0कां0 रोमिश तोमर एसटीएफ मेरठ की टीम जनपद शाहजहॉपुर में आपराधिक अभिसूचना संकलन हेतु भ्रमणषील थी की जरिये मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि अन्तर्राज्यीय गिरोह के कुछ सदस्य उड़ीसा राज्य से अवैध मादक पदार्थ (गांजा) लाकर बरेली व एनसीआर क्षेत्र में सप्लाई करते है। वह आज उड़ीसा से आयशर केन्टर गाड़ी द्वारा गांजा लेकर शाहजहॉपुर की ओर से बरेली आने वाले हैं। इस पर सूचना पर मुखबिर के बताये गये स्थान पर पहुंच कर चेकिंग करने पर, कुछ ही समय के बाद एक आयशर केन्टर आया, जिसे मुखबिर की निषादेही पर आयषर की घेराबन्दी करते हुए सरयू पुलिया वाले ओवर ब्रिज से करीब 300 मीटर आगे रूकवा लिया गया। एसटीएफ टीम द्वारा एनडीपीएस एक्ट के प्राविधानो के अनुरूप क्षेत्राधिकारी तिलहर को अवगत कराते हुए साथ लेकर तलाषी की कार्यवाही की गयी, जिसके आधार पर सुभाष सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जे से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह काफी समय से उड़ीसा राज्य से अवैध मादक पदार्थ (गांजा) की तस्करी करता है तथा बरेली व आसपास के जनपदो मे फुटकर मे बेचता है। आज यह गांजा भी उड़ीसा से राहुल नामक व्यक्ति से लेकर आया है और बरेली में अपने परिचित को सप्लाई करनी थी। वह इस मादक पदार्थ को उड़ीसा से 1500/- प्रति कि0ग्रा0 के हिसाब से लाता है और इसे आसानी से 3500/- से 4000/- प्रति कि0ग्रा0 के हिसाब से बेच देता है।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्व थाना तिलहर, जनपद शाहजहॉपुर पर मु0अ0सं0 425/2025 धारा 8/20/29/60 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कराया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

एस0टी0एफ0-अन्तर्राज्यीय स्तर पर वन्य जीवों की तस्करी करने वाले गिरोह का 01 सदस्य गिरफ्तार।

दिनॉकः 09-09-2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर वन्य जीवों की तस्करी करने वाले गिरोह के 01 सदस्य को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :-

1- विशाल मिश्रा पुत्र स्व0 मनोज कुमार मिश्र निवासी 501/61ख कबडिया का पुरवा डालीगंज लखनऊ।

बरामदगी :–

1– 20 अदद इंडियन स्टार टारटोइज (Geochelone Elegans) (Threatened Tortoise species)

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में अनुसूची–01 का विलुप्त प्रजाति का प्रतिबन्धित जीव है।

2– 01 अदद मोबाइल फोन।

3– 01 अदद स्कूटी एक्टिवा 5जी।

गिरफ्तारी का दिनांक/समय व स्थानः–

दिनाँक–09–09–2025 समय 17.30 बजे निराला नगर जेप्टो आफिस के सामने थाना क्षेत्र हसनगंज लखनऊ।

विगत कुछ दिनों से एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को वन्य जीवों एवं उनके अंगों की तस्करी करने वाले गिरोंह के सक्रिय होने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री अवनीश्वर चन्द्र श्रीवास्तव, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में निरीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में एक टीम अभिसूचना संकलन के क्रम में जनपद लखनऊ में भ्रमणशील थी। इस दौरान मुखबिर खास से ज्ञात हुआ कि निराला नगर हसनगंज लखनऊ में एक व्यक्ति कछुआ बेचने के उददृेष्य से आया है। इस सूचना पर विश्वास करके एसटीएफ टीम द्वारा वन विभाग टीम को साथ लेकर उपरोक्त स्थान से 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि ये कछुआ कोलकाता से पार्सल के माध्यम से ट्रेन से मंगवाते है व नेपाल व आस पास के जनपदों में ऊँचे दामों पर बेचते है।

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में अनुसूची–01 का प्रतिबन्धित जीव है, जो विलुप्त प्राय हो चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना हसनगंज जनपद लखनऊ में मु0अ0सं0 137/2025 धारा 9/39/44/48ए/49/50/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम–1972 दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना स्थानीय द्वारा की जा रही है।

एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स उ0प्र0–दिनांक 10.09.2025 को ए.एन.टी.एफ यूनिट बरेली द्वारा उडीसा से अंतर्राज्यीय अवैध मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे सक्रिय गिरोह के 01 सक्रिय तस्कर को गिरफ्तार कर, कब्जे से 71 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 36 लाख रुपये), 01 अदद मोबाईल फोन, 01 अदद ब्रीजा कार, 01 अदद मोबाइल फोन व 16,900/– रुपये नगद बरामद किया गया ।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध उ0प्र0, लखनऊ के मार्गदर्शन एवं पुलिस महानिरीक्षक एएनटीएफ लखनऊ के निर्देशन में ए0एन0टी0एफ0 यूनिट बरेली द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के 01 सक्रिय तस्कर रामप्रताप पुत्र बलवीर सिंह निवासी ग्राम नादरमयी थाना अमांपुर जनपद कासगंज व हाल पता किरायेदार विपिन यादव सुनहरी नगर थाना कोतवाली नगर एटा को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 71 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा(अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 36 लाख रुपये), 01 अदद मोबाईल फोन, 01 अदद ब्रीजा कार, 01 अदद आधार कार्ड, 01 अदद ड्राइविंग लाईसेंस व 16,900/– रुपये नगद बरामद कर विधिक कार्यवाही की गयी। इस सम्बन्ध में थाना–फतेहगंज वेस्ट जनपद बरेली में मु0अ0सं0– 370/2025 धारा– 8/20/29/60 एनडीपीएस एक्ट, 1985 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण–

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त द्वारा पूछने पर बताया गया कि वह गुड़गांव में टैक्सी चलाता था तभी उसके एक दोस्त ने उसकी मुलाकात एक दूसरे व्यक्ति से करायी और कहा कि उसके साथ काम कर लोगे तो धनवान हो जाओगे। उसके बाद वह लालच में आ गया और उसके कहने पर गांजा को राज्य उड़ीसा से लाकर देने लगा। वह एक महीने में करीब 03 से 04 चक्कर उड़ीसा के लगाता है तथा बोनट में रखकर गांजा लाता था। जिससे कोई चेकिंग में नहीं पकड़ पाता था, परन्तु इस बार वह पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का विवरण–

1.रामप्रताप पुत्र बलवीर सिंह निवासी ग्राम नादरमयी थाना अमांपुर जनपद कासगंज व हाल पता किरायेदार विपिन यादव सुनहरी नगर थाना कोतवाली नगर एटा।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय–

दिनांक– 10.09.2025 समय– 06.46 बजे स्थान– लखनऊ से मुरादाबाद जाने वाले लेन पर रहपुरा कट के लिए उतरने वाले, सर्विस लेन की शुरूआत पर थाना थाना–फतेहगंज वेस्ट जनपद बरेली ।

बरामदगी का विवरण–

1. 71 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा(अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 36 लाख रूपये)
2. 01 अदद मोबाईल फोन ।
3. 01 अदद आधार कार्ड
4. 01 अदद ड्राईविंग लाईसेंस
5. 01 अदद ब्रीजा कार
6. 16,900/– रूपये नगद बरामद ।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम का विवरण– ए०एन०टी०एफ० टीम यूनिट बरेली

1. प्रभारी निरीक्षक श्री हरवेन्द्र मिश्रा ए.एन.टी.एफ. यूनिट आगरा
2. प्रभारी उ0नि0 श्री विकास यादव तैनाती ए.एन.टी.एफ. यूनिट बरेली
3. हे0का0 दिनेश कुमार तैनाती ए.एन.टी.एफ. मुख्यालय लखनऊ
4. का0 सौरभ चौधरी एएनटीएफ यूनिट बरेली
5. का0 रसविन्द्र चौधरी ए.एन.टी.एफ. यूनिट बरेली
6. का0 विनीत कुमार ए.एन.टी.एफ. यूनिट बरेली
7. का0 अंकित यादव ए.एन.टी.एफ. यूनिट बरेली
8. म0का0 छाया ए.एन.टी.एफ. यूनिट बरेली
9. का0 कुश कुमार एएनटीएफ यूनिट बरेली

पुलिस टीम थाना– फतेहगंज वेस्ट जनपद बरेली

1. उ0नि0श्री अनूप सिंह थाना फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली ।
2. का0 मनीष चौधरी थाना फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली ।

टीम सर्विलांस ए.एन.टी.एफ मुख्यालय लखनऊ

1. एस.आई.एम राजेश मिश्रा (सर्विलांस प्रभारी) तैनाती ए.एन.टी.एफ. मुख्याल लखनऊ
2. मय समस्त सर्विलांस टीम

जनपद बुलन्दशहर/थाना नरसैना

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटे गये पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **01 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 10.09.2025 को थाना नरसैना व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर केला मोड़ बैरियर पर चेकिंग के दौरान बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–फैजान 2–राकेश उर्फ रिंकू उर्फ बाटा घायल हो गये, जिन्हें अभियुक्त 3–वसीम सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूटे गये पीली–सफेद धातु के आभूषण, 01 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त राकेश उर्फ रिंकू उर्फ बाटा के विरूद्ध जनपद हापुड़, बुलन्दशहर व कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, लूट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना नरसैना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–फैजान निवासी शेरपुर थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ हालपता–एनटीपीसी रोड़ कस्बा व थाना जार्चा, गौतमबुद्धनगर।

2–राकेश उर्फ रिंकू उर्फ बाटा निवासी ग्राम बछेड़ा खुर्द थाना पिलखुआ जनपद हापुड़।

3–वसीम निवासी कस्बा व थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़।

बरामदगी

1–लूटे गये पीली–सफेद धातु के आभूषण।

2–01 मोटर साइकिल।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद गोरखपुर/थाना खजनी

- **08 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की भारी मात्रा में पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **05 लाख 45 हजार रूपये नगद**
- **05 किलो अवैध चरस**
- **घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन**
- **01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 10.09.2025 को थाना खजनी, सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 08 अभियुक्तों 1–चॉद अली उर्फ तौफीक 2–सोनू 3–इरफान 4–परवेज 5–अफरोज 6–भीम 7–गौरीशंकर 8–आदित्य को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की भारी मात्रा में पीली–सफेद धातु के आभूषण, 05 लाख 45 हजार रूपये नगद, 05 किलो अवैध चरस, घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन, 01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना खजनी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना खजनी पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिसमें अभियुक्त चॉद अली उर्फ तौफीक के विरूद्ध जनपद गोरखपुर, संतकबीरनगर के विभिन्न थानों पर चोरी आदि के डेढ़ दर्जन अभियोग, अभियुक्त सोनू के विरूद्ध जनपद गोरखपुर, संतकबीरनगर के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 02 दर्जन अभियोग, अभियुक्त इरफान के विरूद्ध जनपद गोरखपुर, संतकबीरनगर के विभिन्न थानों पर चोरी, आदि के 19 अभियोग, अभियुक्त परवेज व अफरोज के विरूद्ध जनपद गोरखपुर, संतकबीरनगर के विभिन्न थानों पर डेढ़ दर्जन अभियोग, अभियुक्त भीम के विरूद्ध जनपद गोरखपुर, संतकबीरनगर के विभिन्न थानों पर चोरी आदि के 21 अभियोग, अभियुक्त गौरीशंकर व आदित्य के विरूद्ध जनपद गोरखपुर, संतकबीरनगर के विभिन्न थानों पर चोरी आदि के 15 अभियोग, पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना खजनी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—चॉद अली उर्फ तौफीक निवासी बंजरिया परसा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर। 2—सोनू निवासी जिगनी थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर।

3—इरफान निवासी बंजरिया परसा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

4—परवेज निवासी बंजरिया परसा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

5—अफरोज निवासी बंजरिया परसा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

6—भीम निवासी औराई थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर।

7—गौरीशंकर निवासी बखिरा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

8—आदित्य निवासी बखिरा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी

1—चोरी की भारी मात्रा में पीली—सफेद धातु के आभूषण।

2—05 लाख 45 हजार रूपये नगद।

3—05 किलो अवैध चरस।

4—घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन।

5—01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस आदि।

जनपद मुरादाबाद/थाना सिविल लाईन्स

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 03 लाख 98 हजार 200 रूपये नगद**
- **चोरी के (पीली—सफेद) धातु के आभूषण आदि बरामद**

दिनांक 10.09.2025 को थाना सिविल लाईन्स पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 03 अभियुक्तों 1—विकास 2—शिवम 3—अभियुक्ता को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही पर चोरी के 03 लाख 98 हजार 200 रूपये नगद, चोरी के (पीली—सफेद) धातु के आभूषण आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना सिविल लाईन्स क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिविल लाईन्स पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सिविल लाईन्स पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—विकास निवासी महमूदपुर अबूशहीदपुर उर्फ सूदनपुर थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा।

2—शिवम निवासी दुल्हेपुर थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद।

3—अभियुक्ता।

बरामदगी

1—चोरी के 03 लाख 98 हजार 200 रूपये नगद।

2—चोरी के (पीली—सफेद) धातु के आभूषण आदि।

जनपद सुलतानपुर/थाना लम्भुआ

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **11 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर**
- **भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 10.09.2025 को थाना लम्भुआ व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मठिया शाहगढ़ जंगल से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्तों 1—दीप नारायण 2—अजय कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 11 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर, भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना लम्भुआ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–दीप नारायण निवासी ग्राम खादर बसन्तपुर मझौआ थाना कुड़वार जनपद सुलतानपुर।

2–अजय कुमार निवासी ग्राम खादर बसन्तपुर मझौआ थाना कुड़वार जनपद सुलतानपुर।

बरामदगी

1–11 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर।

2–भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

———————